1. प्रस्तावना

राज्य में वर्तमान में लगभग कुल 118 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय संचालित हैं जिनकी लगभग कुल प्रवेश क्षमता 23,556 विद्यार्थी हैं। इनमें से 48 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय राजकीय क्षेत्र में तथा 01 केन्द्र सरकार संस्थान एवं 69 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय निजी क्षेत्र में संचालित है। निजी क्षेत्र में संचालित पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों मे से 05 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय निजी सार्वजनिक सहभागिता योजना के अन्तर्गत संचालित हैं । जिनकी कुल प्रवेश क्षमता 824 विद्यार्थी है।इन समस्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों को पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) नई दिल्ली द्वारा दी जाती है एवं इन्हें प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर द्वारा सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

इनमें से 09 महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में नॉन–इन्जीनियरिंग ब्रांचों यथा टेक्सटाईल डिजाईनिगं , कॉस्ट्यमू डिजाईनिंग एंड ड्रेस मेकिंग, कॉमर्शियल आर्ट, इंटीरियर डेकोरेशन, फैशन एण्ड टेक्सटाईल डिजाईन, फैशन डिजाइनिग, विजुअल ग्राफिक्स तथा मॉडर्न आफिस मैनजमेंट में 03 वर्षीय तथा ब्यूटी कल्चर में 02 वर्षीय स्नातक स्तरीय करवाया जाता है।

सत्र 2023– 24 से चार राजकीय महिला पॉलिटक्निक महाविधालयों में स्नातक स्तरीय गैर अभियांत्रिकी 04 पाठ्यक्रम यथा बी.डिजाइन (Textile Design), बी. फैशन एण्ड अपैरल डिजाइन (BFAD), बी. फाइन आर्टस (BFA), बी. विजुअल इफैक्ट्स (BVE) ब्रांचों में प्रारम्भ किये गये है।

इन पाठ्यक्रमों का निर्धारण एवं परीक्षाओं का आयोजन राजस्थान तकनीकी विश्वविधालय कोटा एवं तकनीकी विश्वविधालय, बीकानेर, राजस्थान द्वारा किया जाएगा।

उक्त पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थी सरकारी एवं निजी क्षेत्र में रोजगार पा सकता हैं एवं स्वयं का उद्यम प्रारम्भ कर सकता हैं। डिग्री अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिये इन्डस्ट्री–इन्स्टीट्यूट इन्टरेक्शन सैल के माध्यम से निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कम्पनियों में कैम्पस प्लेसमेंट के द्वारा भी रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा।

इस विवरणिका में महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित स्नातक स्तरीय नॉन–इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये ऑफलाईन आवेदन करने के विस्तृत दिशा–निर्देश, प्रवेश प्रक्रिया एवं नियमों का समावेश किया गया है। आवेदक इस विवरणिका का भली भॉति अध्ययन कर आवेदन करें।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 04 महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में छात्राओं हेतु अलग से छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित अन्य कोई भी आदेश जारी करने पर वह तुरन्त प्रभाव से इस प्रक्रिया पर लागू किया जा सकेगा यथा संस्थानो ंकी संख्या, सीटो ंकी सख्या, आरक्षण के प्रावधान, सामान्य नियम इत्यादि। प्रवेश प्रक्रिया एवं अन्य सामान्य अनुदेश निम्नानुसार है :–

2. प्रवेश के लिये सामान्य सूचना एवं आवेदन प्रक्रियाः

2.1 नॉन–इन्जीनियरिंग चार वर्षीय स्नातक स्तरीय (डिग्री) पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में केन्द्रीयकृत प्रवेश हेतु नोडल संस्था राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविधालय, सांगानेर, जयपुर है। इन पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के विभिन्न नॉन–इंजीनियरिंग स्नातक स्तरीय (डिग्री) पाठ्यक्रमों की निर्धारित प्रवेश क्षमता की अन्तरिम सूची (सीट मेट्रिक्स) सारणी–1 में दी गई है।

सारणी –1 : सीट मैट्रिक्स

S.No.	College Name	Name of Branch	College & Branch Code	AICTE Intake (GAS)
1	Government Women Polytechnic College, Ajmer	Fashion and Apparel Design	1001	30
		Fine Arts	1002	30
2	Government Women Polytechnic College, Jaipur	Fashion and Apparel Design	1003	30
		Fine Arts	1004	30
		Textile Design	1005	30
		Visual Effects	1006	30
3	Government Women Polytechnic College, Sanganer, Jaipur	Textile Design	1007	30
		Fashion and Apparel Design	1008	30
4	Government Women Polytechnic College, Jodhpur	Fashion and Apparel Design	1009	30
		Fine Arts	1010	30

सत्र 2023–24 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित, राजस्थान तकनीकी विश्वविधालय, कोटा एवं राजस्थान तकनीकी विश्वविधालय, बीकानेर से सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों, ब्रान्च व प्रवेश क्षमता के अनुसार ही प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश स्थानों की नवीनतम जानकारी विभाग एवं कॉलेज की वेब साईट पर उपलब्ध रहेगी। ऑफलाईन ऑप्शन फार्म में संस्था व ब्रान्च का कोड भरने से पूर्व अभ्यर्थी विभागीय वेबसाईट https://hte.rajasthan.gov.in/college/gwpcsanganer पर उपलब्ध नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। तदुपरान्त ही ऑफलाईन ऑप्शन फार्म में प्रविष्टियां करें।

वर्तमान में राज्य में स्थित विभिन्न राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम सेमस्टर परीक्षा प्रणाली के आधार पर संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

2.2 आवेदन प्रक्रिया

नॉन–इन्जीनियरिंग स्नातक स्तरीय (डिग्री) पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थीयों को राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविधालय अजमेर, जयपुर, जोधपुर, सांगानेर की वेबसाईट अथवा तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर की वेबसाईट पर उपलब्ध आवेदन फार्म एवं ऑप्शन फॉर्म डाउनलोड कर एवं भरकर राशि रु. 300/– मय आवेदन फीस के साथ इन्ही कॉलेजों में व्यक्तिशः जमा करावें। नाम व उपनाम में अन्तर की अवस्था में परिशिष्ट–V का उपयोग करे। ऑफलाईन आवेदन पत्र एवं आप्शन फार्म भरने हेतु विस्तृत प्रक्रिया इस विवरणिका में परिशिष्ट VII पर उपलब्ध है।

3. प्रवेश के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः

अभ्यर्थी किसी भी विषय में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंकों (40 प्रतिशत अंक आरक्षित श्रेणी हेतु) से उत्तीर्ण होना चाहिए।

3.1 आयु सीमा : प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की कोई आयु सीमा नहीं है।

3.2 आवेदन पत्रों की जांचः अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र समस्त दस्तावजों की स्व–प्रमाणित प्रति के साथ जमा कराने के पश्चात् सम्बन्धित संस्थान में सम्पूर्ण फार्म मय दस्तावेज चेक करवाकर फार्म में कोई कमी न पायी जाने की रसीद प्राप्त करें।

3.3 श्रेणीवार अस्थाई योग्यता सूची : समस्त आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त श्रेणीवार अस्थाई योग्यता सूची जारी की जायेगी। अभ्यर्थी संस्थान की वेबसाईट https://hte.rajasthan.gov.in/college/gwpcsanganer पर निर्धारित तिथि को अपनी योग्यता सूची क्रमांक देख सकते है।

इसमें किसी प्रकार का संशय होने पर संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र मय आवश्यक प्रमाण पत्र, निर्धारित समय तक संयोजक, प्रवेश प्रक्रिया संयोजक एवं प्रधानाचार्य राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविधालय, सांगानेर, जयपुर को व्यक्तिगत उपस्थित होकर प्रस्तुत करेगे। इन समस्त आपत्तियों के निराकरण उपरान्त ही प्रवेश हेतु श्रेणीवार अंतिम योग्यता सूची निश्चित दिनांक को संस्थान की वेबसाईट https://hte.rajasthan.gov.in/college/gwpcsanganer पर जारी की जायेगी। इसके पश्चात् योग्यता सूची में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा।

4. योग्यता सूची एवं प्रवेश में प्राथमिकता की श्रेणी: राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निम्न प्रक्रिया/नियमों के तहत योग्यता सूची जारी की जायेगी :

4.1 योग्यता सूची जारी करने हेतु प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा –

- Preferential category – 1

निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थी Preferential category - 1 के अन्तर्गत आयेंगे।

1(A) जिन अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षाबोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा राजस्थान में स्थित किसी स्कूल से 10^{th}, 11^{th} & 12^{th} अध्ययन कर उत्तीर्ण किया हो।

अथवा

1(B) अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो ।

अथवा

1(C) अभ्यर्थी राजस्थान सरकार के कर्मचारी की संतान / पत्नी हो ।

अथवा

1(D) अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के बोर्ड , कार्पोरेशन, विश्वविद्यालय तथा भारत सरकार या उसके उपक्रम के कर्मचारी की सन्तान/पत्नी जिनका पदस्थापन राजस्थानमे स्थित कार्यालय मे हो।

- Preferential category- 2

Preferential category-1 के अतिरिक्त अन्य समस्त अभ्यर्थी, जो राज्य के मूल निवासी नही है,वें Preferential category– 2 मे सम्मिलित होंगे।

Preferential category-1 की श्रेणीवार योग्यता सूची जारी की जाती है तथा Preferential category-2 के अभ्यर्थियों को इस योग्यता सूची (सामान्य श्रेणी का मानते हुए) के अन्त में स्थान दिया जाता है।

4.2उपरोक्त प्राथमिकताओं के दृष्टिगत, योग्यता क्रमांक निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगाः–

4.2.1 योग्यता सूची अभ्यर्थी द्वारा उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के आधार पर बनाई जावेगी।जिन अभ्यर्थी ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/काउन्सिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट(C.I.S.C.)/ इंडियन काउन्सिल फॉर सैकण्डरी एज्यूकेशन (I.C.S.E.) से बारहवीं परीक्षा पासकी है, उसकी अंक तालिका में अंकित सभी विषयों के योग के प्रतिशत के आधार पर योग्यता क्रमांक निर्धारित किया जायेगा।

माध्यमिक परीक्षा में CGPA/GPA प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के अंको की गणना CGPA/GPA को उचित गुणांक से गुणा करने के बाद प्राप्त प्रतिशत को निर्धारित किया जायेगा।

4.2.2 पूरक परीक्षा से उत्तीर्ण होने अथवा अंक सुधार की स्थिति में बोर्ड द्वारा जारी अंतिम अंकतालिका के प्राप्तांकों के आधार पर योग्यता क्रमांक का निर्धारण किया जायेगा।

4.2.3 अगर एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक प्रतिशत बराबर हो तब पहले जन्म तिथि (अधिक उम्र) वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। तदुपरान्त अभ्यार्थी के नाम की अग्रेजी वर्णमाला (English Alphabet) के क्रमानुसार किया जाएगा। (A से Z के क्रम में)

5. प्रवेश में आरक्षण के प्रावधानों का विवरणः

सामान्य श्रेणी से भिन्न यथा,

श्रेणी A GEN/SC/ST/OBC (Non Creamy Layer), MBC (Non Creamy Layer/EWS (Ecomomically Weaker section),

श्रेणी B: (EXS(I)/EXS(II)/EXS(III)/EXS(IV) EXS(V) EXSVI) EXS(VII) EXS(VIII) EXS(IX) EXS(X) (For Candidates belonging to military services only as per norms),

श्रेणी C: (Kashmiri Migrants (KM) / Physically Handicapped (PH)),

श्रेणी D: (Widow/ Divorcee) तथा

श्रेणी E: (Single Mother Dependent)

को आवश्यक निर्धारित प्रमाण पत्र (परिशिष्ट–I/II/III/VI) प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ देय होगा। आरक्षण हेतु समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी प्रावधान इन पर लागू रहेंगे।

5.1 Category - A

राज्य के सभी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति (Scheduled Caste, SC)के लिये 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe, ST) के लिये 12 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) को 21 प्रतिशत आरक्षण दये है।

कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक 7(1)कार्मिक/क–2/2017 दिनांक 08.03.2019 की अनुपालनामें अति पिछड़े वर्ग (MBC) हेतु वर्षभर की कुल प्रवेश क्षमता का 5 प्रतिशत आरक्षण देय होगा।अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर), अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की प्रारम्भिक तिथि से एक वर्ष से अधिक पुराना होने पर, इन श्रेणियों में आरक्षण का लाभ लेने के लिये निर्धारित प्रारुप, परिशिष्ट–III मे अन्डरटेकिगं देनी होगी। प्रमाण पत्र, राज्य सरकार के नियमानुसार इस अन्डरटेकिंग के साथ अधिकतम 3 वर्षों तक मान्य होगा।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section (EWS)**आरक्षण**

(EWS) आरक्षण कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प.7(2) कार्मिक/क–2/2019 दिनांक 29.03.2019 एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 11/आ.क.व./डीडीबीसी/सान्याअवि /19/14278 दिनांक 12.03.2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section (EWS)) के व्यक्तियों को (अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रदत आरक्षण के अतिरिक्त) राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में कुल प्रवेश क्षमता की सीटों में से 10 प्रतिशत स्थानों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section (EWS)) के लिए प्रवेश सामान्य वर्ग की सीटों में से आरक्षित होगा। इसके लिए अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5.1.1 कार्मिक (क–2) विभाग, जयपुर के परिपत्र दिनांक 01.06.2018 में वर्णित टी.एस.पी. एरिया में संशोधन के आधार पर एवं भारत सरकार के राजपत्र दिनां क 19.05.2018 में वर्णित टी.एस.पी.एरिया के अन्तर्गत संशोधन के आधार पर राज्य की सभी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों

में अधिसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र के 8 जिले यथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर,राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली एवं सिरोही जिले के अधिसूचित भाग को सम्मिलित करते हुए इन क्षेत्रों के स्थानीय अनुसूचित जनजाति के युवाओं को इन पाठ्यक्रमों में निर्धारित 12 प्रतिशत का 45 प्रतिशत आरक्षण को सम्पूर्ण राज्य में स्थित पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में ए. आई.सी.टी.ई. द्वारा स्वीकृत प्रवेश स्थानों पर लागू होगा। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लियें निर्धारित 12 प्रतिशत की सीमा के अध्याधीन ही देय होगा तथा प्रवेश स्थान रिक्त रहने पर अन्य क्षैत्रों के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से भरे जा सकेगें।

5.2 Category - B : भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितोंः सैनिकों के आश्रितो ंके लिये आरक्षण

5.2.1 राजस्थान सरकार द्वारा अपने आदेश क्रमांक प.1(47)त.शि./2007 दिनांक 18.03.08 के क्रम में रक्षा कार्मिकों हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) का प्रावधान किया गया हैं। इस श्रेणी में प्रवेश हेतु निम्न प्राथमिकता अनुसार प्रवेश दिया जायगे। आरक्षण प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थी परिशिष्ट–I में दिये गये प्रारुप में आवश्यक प्रमाण पत्र एवं Discharge certificate and Pension Payment Orderके आवश्यक 2–3 मुख पृष्ठों की स्केन कॉपी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत साक्षात्कार के समय Discharge Certificate and Pension Payment Order की मूल एवं इसकी एकस्व–प्रमाणित छाया प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.No.6(1)/2017/D(Res.II) Dated May21, 2018 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों/सैनिकों के आश्रितों को निम्नानुसार आरक्षण में वरियता प्रदान की जायेगी।

Priority I : Widows/Wards of Defence Personnel killed in action.

Priority II : Wards of disabled in action and boarded out from service.

Priority III : Widows/Wards of Defence personnel who died while in service with death attributable to military service.

Priority IV : Wards of disabled in service and boarded out with disability attributable to military service.

Priority V :Wards of Ex-Servicemen and serving personnel who are in receipt of Gallantry Awards :

i. Param Vir Chakra

ii. Ashok Chakra

iii. Maha Vir Chakra

iv. Kirti Chakra

v. Vir Chakra

vi. Shaurya Chakra

vii. Sena, Nau Sena, Vayu Sena Medal

viii. Mention-in-Despatches.

Priority VI :Wards of Ex-Servicemen

Priority VII : Wives of :

i) defence personnel disabled in action and boarded out from service.

ii) defence personnel disabled in service and boarded out with disability attributable to military service.

iii) ex-servicemen and service personnel who are in receipt of Gallantry Awards.

Priority VIII : Wards of Serving Personnel.

Priority IX : Wives of Serving Personnel.

Priority X:Ex-Servicemen

5.2.2 The domicile requirement for the wards of the Defence personnel from the State of Rajasthan but serving in other State is waived off. For wards of Defence personnel from other States but serving in the State of Rajasthan, the domicile condition is waived off to enable them to be selected in general quota.However, they would not be eligible for the above mentioned concessions.

5.2.3 गेलेन्टरी अवार्ड विजेता के अलावा शेष सभी सेवारत रक्षा कार्मिकों के पुत्र/पुत्रियों को, रक्षा कार्मिकों हेतु क्षैतिज आरक्षण का लाभ देय नहीं है।

5.2.4 बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. व अन्य पुलिस कर्मियों की सन्तानों के लिये आरक्षण नहीं है।जनरल रिजर्व इन्जीनियरिंग फोर्स को सैनिक बल माना जायेगा ।

5.3 Category - C: निशक्तःजन के लिये आरक्षणः

5.3.1 राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों में निःशक्त अभ्यर्थियों (PH) के उपलब्ध होने पर उनको प्रवेश क्षमता के पॉच प्रतिशत स्थानों पर योग्यता क्रमांक के आधार पर दिये जायेगे। ये स्थान

जिस श्रेणी का अभ्यर्थी है उसी श्रेणी के प्रवेश स्थानों में से क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के अनुसार भरे जायेंगे।

5.3.2 उक्त आरक्षण का लाभ वे समस्त दिव्यांग ले सकेंगे जो पाठ्यक्रम के अनुरूप संबद्ध व्यवहारिक प्रशिक्षण की अर्हताएं भी पूरी करते हों। दिव्यांग अभ्यर्थी पाठ्यक्रम के अनुरूप संबद्ध व्यवहारिक प्रशिक्षण की अर्हताएं पूरी करता है अथवा नहीं, तथा वह किस ब्रान्च के योग्य है,इसका निर्णय संस्था स्तर पर गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा। प्रवेश के संबंध में संयोजक,प्रवेश कमेटी का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

5.4 Category - D: विधवा एवं तलाकशुदा महिला के आरक्षण के प्रावधानः–

महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में विधवा, तलाकशुदा महिला एवं अनाथ आश्रम में रहवासिनियों के उपलब्ध होने पर प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थान योग्यता के आधार पर भरे जावेगें। ये स्थान जिस श्रेणी का अभ्यर्थी है उसीश्रेणी के प्रवेश स्थानो मे ंसे क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के अनुसार भरे जायेंगे।

नोट :– महिला पॉलिटेक्निक में उपरोक्त स्थानों पर पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थान योग्यता के आधार पर सामान्य अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।

5.5 Category - E: एकल महिला के बच्चों/आश्रितों के लिये आरक्षण के प्रावधानः–

राज्य सरकार द्वारा एकल महिला (अर्थात विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा, 35 वर्ष से ज्यादा उम्र की अविवाहित महिला) के बच्चों/आश्रितों के लिये 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित है। यह आरक्षण क्षैतिज होगा। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट–VI पर उपलब्ध है।

5.6 पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त अधिसंख्य (Super Numerary)स्थानों पर प्रवेश के प्रावधानः

5.6.1 कश्मीरी विस्थापितों/ कश्मीरी पंडित/ कश्मीरी हिन्दु परिवार (अविस्थापित) के लिये प्रवेश स्थान

5 % of total intake capacity over and above the sanctioned strength in each of the institutions will be reserved for Kashamiri Migrants / Kashmiri Pandits/ Kashmiri HinduFamilies (Non Migrants)]. Sons/ Daughters of displaced persons from Jammu &Kashmir shall be eligible for admission to Degree Courses. The

candidate will submit a certificate from the competent authority as a proof of being son/daughter of displaced persons from Jammu & Kashmir.

6. मेरिट एवं आवंटनः– संस्थान एवं ब्रांच का आवंटन अभ्यर्थी द्वारा भरे गये विकल्प पत्र (ऑप्शन फार्म) में दिये गये विकल्पों की वरीयता के क्रम में योग्यता क्रमांक एवं संस्थानों में श्रेणीवार उपलब्ध संस्थानों के आधार पर किया जावेगा। यह आवंटन पूर्णतः अंतरिम (Provisional) होगा। आवंटन में उपरोक्त में से किसी श्रेणी हेतु आरक्षित स्थानों पर योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थान योग्यता के आधार पर सामान्य अभ्यर्थी से भरे जाएगें।

7. रिर्पोटिंग करने की प्रक्रियाः

आवंटन के उपरान्त वे अभ्यर्थी जिन्हें राजकीय संस्था में ब्रांच आवंटित हुई हैं, वे उसी संस्थान में व्यक्तिशः मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होंगे। इस हेतु रिर्पोटिंग संस्थानों की सारणी 2 देखें। साथ ही उसे प्रवेश हेतु निर्धारित आंशिक शुल्क रूपये 1000/–(non-refundable but adjustable in fees) नगद जमा करवानी होगी। रिपोर्ट नहीं करने पर अभ्यर्थी का प्रवेश स्वतः ही रद्द हो जायेगा एवं उस स्थान को प्रवेश के आगामी चरणों में रिक्त स्थानों में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

सारणी–2 : संस्थाओं के नाम एवं रिर्पोटिंग स्थानों का विवरण

क्रम संख्या	आवंटित संस्थान का नाम	संस्थान का नाम जहॉ अभ्यर्थी रिपोर्टिंग करेंगे	पता एवं दूरभाष
1	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविधालय, अजमेर	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविधालय, अजमेर	Govt. Women Polytechnic College,Ajmer Makhupura , Ajmer 305002 0145&2695195
2	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविधालय, जयपुर	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविधालय, जयपुर	A-5, Mahatma Gandhi Rd, Bapu Nagar, Jaipur, Rajasthan 302007 0141–2706688
3	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविधालय, जोधपुर।	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविधालय, जोधपुर।	W-6, Residency Road, 85 K, Gali Number 4, Ghanchi Colony, Surya Colony, Jodhpur, Rajasthan 342001 0291–245418
4	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविधालय, सांगानेर।	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविधालय, सांगानेर।	Sanganer, Sector 6, Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033 0141–2791411

8. सीधे प्रवेश (Direct/Spot Admissions):

8.1 केन्द्रीय प्रवेश की समस्त प्रक्रिया उपरोक्तानुसार पूर्ण हो जाने के पश्चात संस्थानों में रिक्त रहे स्थानों के लिए संस्थान स्तर पर प्रवेश दिये जायेगे। इस हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करवाकर आवेदन की प्रक्रिया नियमानुसार की जायेगी।

8.2 उपरोक्तानुसार प्रत्येक संस्थान के लिये अभ्यर्थी सम्बंधित संस्थान में निर्धारित शुल्क एवं मूल दस्तावेज संस्थान में जमा करवाने होगें। सीट आवंटन के लिए आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त योग्यता सूची बनाकर व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा आवंटन किया जायेगा।

9 अन्य सामान्य अनुदेश :

9.1 डॉ. आर.के. राघवन की अध्यक्षता में गठित कमेटी एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनाकं 16.05.2007 की क्रियान्विन्ति के आदेशानुसार रैगिगं लेना कानूनन अपराध है। यदि कोई भी छात्र/छात्रा संस्थान, संस्थान प्रांगण, छात्रावास एवं संस्थान के बाहर रैगिंग लेते हुए पाया जाता है तो उनके विरूद्ध कड़ी कानूनी एवं कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिये सम्बन्धित प्रधानाचार्यों द्वारा undertaking प्राप्त की जायेगी। साथ ही ऐसे छात्र/छात्राओं को संस्थान से निष्कासित करते हुए नामांकन भी निरस्त कर दिया जायेगा।

9.2 प्रवेशित अभ्यर्थियों का नामांकन राजस्थान तकनीकी विश्वविधालय कोटा एवं बीकानेर तकनीकी विश्वविधालय, बीकानेर, राजस्थान द्वारा किया जाएगा। इस हेतु अभ्यर्थी को अपना प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) प्रस्तुत करना होगा। अतः प्रवेश के साथ ही प्रवजन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेवें, जिससे नामांकन में परेशानी ना आवे। किसी अवस्था में विलम्ब के लिये संस्थान की अनुमति से परिशिष्ट–IV मे घोषणा पत्र प्रस्तुत करें।

9.3 स्नातक स्तरीय (डिग्री) पाठ्यक्रम एक नियमित पाठयक्रम है। अतः अभ्यर्थी को अपना अध्ययन आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होकर करना होगा। परीक्षा में बैठने के लिये न्यूनतम उपस्थिति राजस्थान तकनीकी विश्वविधालय कोटा, राजस्थान के नियमानुसार पूर्ण करनी आवश्यक होगी।

9.4 यदि अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश ले लेता है तथा अब वह किसी कारणवश पाठ्यक्रम जारी नहीं रखना चाहता तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार अवधान द्रव्य संबंधित संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा नियमानुसार लौटाया जायेगा।

9.5 प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों की मूल अंकतालिका (जिसके आधार पर उसने प्रवेश प्राप्त किया है) तथा आयु प्रमाण पत्र जमा कर लिये जायेंगे। ये प्रमाण पत्र छात्र/छात्रा द्वारा प्रथम वर्ष की परीक्षा के बाद, प्रधानाचार्य से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

9.6 अभ्यर्थी राजस्थान तकनीकी विश्वविधालय कोटा एवं बीकानेर तकनीकी विश्वविधालय, बीकानेर राजस्थान से नामांकित रहते हुए किसी अन्य विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे और न ही किसी अन्य विश्वविद्यालय में नामांकन रख सकेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो उसका सम्बन्धित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से प्रवेश अविलम्ब निरस्त कर विश्वविधालय से उसका नामांकन निरस्त कर दिया जायेगा।

9.7 ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें परीक्षा में अनुचित साधन के उपयोग के कारण विश्वविधालय द्वारा दडिंत किया गया हो/ किया जाता है तो वे अभ्यर्थी नये प्रवेश के हकदार नहीं होंगे।

9.8 एक अच्छे विद्यार्थी के लिये आवश्यक अनुशासन, चरित्र निर्माण, नेतृत्व, उत्तरदायित्व की भावनाएवं गुणों के विकास पर संस्थाओं में अधिक ध्यान दिया जाता है। प्रत्यके विद्यार्थी के लिये शारीरिक प्रशिक्षण, खेलकूद एवं अन्य पाठ्योत्तर गतिविधियों में भाग लेना आवश्यक है।

9.9 यदि किसी विद्यार्थी को संस्था का अनुशासन भंग करता पाया गया अथवा उसका व्यवहार शैक्षणिक वातावरण के प्रतिकूल हो तो संस्था के प्रधानाचार्य/अधिष्ठाता को उस विद्यार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसमें प्रवेश रदद् कर संस्था से निष्कासित करना, किसी भी अवधि के लिये संस्था से निलम्बित करना, आर्थिक दंड देना या एक संस्था से दूसरी संस्थान में स्थानान्तरित करने हेतु विश्वविधालय को अभिशंषा करना, चरित्र प्रमाण पत्र में प्रतिकूल प्रविष्टि करना आदि सम्मिलित है ।

9.10 यदि कोई विद्यार्थी बिना पूर्व सूचना व अनुमति के संस्था से निरन्तर पन्द्रह दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम संस्था से अस्थायी रूप से काट दिया जायेगा । कक्षा से किसी भी अवधि की सामूहिक अनुपस्थिति को अनुशासनहीनता की कार्यवाही मानते हुए विद्यार्थी का नाम संस्था से अस्थायी रूप से काट दिया जायेगा। ऐसे विद्यार्थी को 200/–

रूपये का पुनः प्रवेश शुल्क जमा करवाने एवं लिखित में भविष्य में ऐसा न करने का आश्वासन देने पर पुनः प्रवेश, प्रधानाचार्य अपने विवेकानुसार दे सकेंगे। परन्तु विद्यार्थी को उस सत्र के दौरान पुनःप्रवेश दिये जाने की स्थिति में उक्त अनुपस्थिति के कारण यदि कक्षाओं में उसकी उपस्थिति कम हो जाती है और वह विद्यार्थी परीक्षा में बैठने से वंचित हो जाता है, तो विद्यार्थी स्वय ंइसके लिये उत्तरदायी होंगें। इस सम्बन्ध में संस्था का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। उपरोक्तानुसार संस्थान में पुनः प्रवेश प्रधानाचार्य द्वारा नहीं दिये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी का नाम संस्थान से स्थायी रूप से काट दिया जावेगा।

9.11 यदि कोई विद्यार्थी गलत विवरण देकर या सूचना छुपा कर या योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश के योग्य न होने पर भी किसी कारणवश प्रवेश प्राप्त कर लेता है तो उक्त गलती के पता होने पर, चाहे छात्र उस समय किसी भी कक्षा में अध्ययन कर रहा हो, उसका प्रवेश रदद् कर दिया जायेगा।

9.12 प्रवेश सम्बन्धी समस्त विषयों पर संयोजक, केन्द्रीय प्रवेश का निर्णय अन्तिम होगा । संयोजक को यह अधिकार है कि वह किसी भी अभ्यर्थी को बिना कोई कारण बताये प्रवेश देने से इंकार कर दे।

9.13 प्रवेश सम्बन्धी किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार, जयपुर में स्थित न्यायालय में ही होगा अन्यत्र नहीं। विवाद बिन्दु के लिये वैधानिक कार्यवाही हेतु सम्मन एक माह के भीतर प्राप्त होना चाहिए।

9.14 विद्यार्थी संबंधित महाविद्यालय में पढ़ाई के वर्षों में संस्था के समय में किसी भी संस्थान में नौकरी नहीं कर सकेगा।

9.15 विद्यार्थी पर राजस्थान तकनीकी विश्वविधालय, कोटा/बीकानेर तकनीकी विश्वविधालय, बीकानेर के नियमों एवं विनियमों के अन्तर्गत दिये गये उपस्थिति, परीक्षा, अगले सेमेस्टर में रजिट्रेशन आदि हेतु विश्वविधालय के दिशा निर्देश लागू होंगे जिसकी प्रति उसे प्रवेश के समय दी जायेगी।

10. छात्रावास की सुविधा एवं शुल्क :

समस्त राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में छात्राओं हेतु छात्रावास सुविधा उपलब्ध है केन्द्रीय परिर्वतित योजना अन्तर्गत छात्रावास में प्रवेश हेतु आवंटन संबंधी कार्यवाही उपस्थिति के समय, प्रधानाचार्य द्वारा की जावेगी एवं प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को नियमानुसार` शुल्क जमा कराना होगा।

11. प्रवेश कार्यक्रम

Date of commencement for filling of the offline application cum registration & Option Form with fee Rs. 300/- (cash) at Nodal Centers	06.09.2023
Last date for submitting offline application cum registration with fee Rs. 300/- (cash) at Nodal Centers	11.09.2023
Declaration of Merit List of all candidates in each category.	12.09.2023
Allotment of Seats	13.09.2023
Reporting & Last Date of deposition of fee in all allotted Institute	14.09.2023
Spot round admission against vacant seats	15.09.2023 (09:AM to 03:PM)
Declaration of allotment of seats of spot round admission at college level	15.09.2023 (03:30PM)
Deposition of fees of spot round admission at college level	15.09.2023 (03:30PM to 06:00 PM)

संयोजक एवं प्रधानाचार्य
राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविधालय,
सांगानेर, जयपुर